भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 1
सोमवार, 29 नवम्बर, 2021/8 अग्रहायण, 1943 (शक)

शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी और आजीविका

1. **श्री राजू बिष्टः**

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में गत पांच वर्षों के दौरान बेरोजगारी का स्तर वर्ष-वार क्या रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार कोविड महामारी के दृष्टिगत शहरी गरीबों के लिए मजदूरी, रोजगार गारंटी और आजीविका सुनिश्चित करने के लिए कोई नई योजना शुरू करने का है; और

(ग) पश्चिम बंगाल के विशेषकर दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में खोले गए "अटल पेंशन" योजना खातों की कुल संख्या कितनी है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क): रोजगार/बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा आयोजित किए जाने वाले आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के माध्यम से 2017-18 से एकत्र किए जाते हैं। देश में सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) 2017-18, 2018-19 एवं 2019-20 में क्रमशः 6.0%, 5.8% एवं 4.8% है।

(ख): आवास एवं शहरी मामले मंत्रालय, शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता एवं अरक्षितता को कम करने के लिए, लाभप्रद स्व-रोजगार एवं कुशल मजदूरी रोजगार अवसरों तक उनकी पहुंच हेतु उन्हें समर्थ बनाकर केंद्र प्रयोजित योजना-नामतः "दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम)" का कार्यान्वयन कर रहा है। मिशन के कौशल प्रशिक्षण और नियोजन (ईएसटी एंड पी) घटक के माध्यम से रोजगार का उद्देश्य शहरी निर्धनों को ढांचागत और बाजारोन्मुख प्रमाणित पाठ्यक्रमों के माध्यम से उनकी आय बढ़ाने के लिए कौशल प्रदान करना है जो कि उन्हें मजदूरी रोजगार एवं/या स्व-रोजगार के अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे वे बेहतर जीवन स्तर प्रदान करेंगे और स्थायी आधार पर शहरी निर्धनता का उन्मूलन करेगें।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) को सामाजिक सुरक्षा लाभों के साथ- साथ नए रोजगार के सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार की हानि के प्रतिस्थापन हेतु 01.10.2021 को प्रारंभ की गई है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा कार्यान्वित की जा रही यह योजना एमएसएमई सहित विभिन्न क्षेत्रों/उद्योगों के नियोक्ताओं पर वित्तीय दबाव को कम करती है एवं उन्हें और अधिक कर्मचारियों को कार्य पर रखने के लिए प्रोत्साहित करती है। एबीआरवाई के तहत, भारत सरकार ईपीएफओ से पंजीकृत प्रतिष्ठानों की रोजगार संख्या के आधार पर, कर्मचारियों के अंशदान (वेतन का 12%) तथा नियोक्ता के देय अंशदान (वेतन का 12%)-दोनों का अथवा केवल कर्मचारियों का अंशदान वहन कर रही है।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का कार्यान्वयन कर रहा है, जो एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड आर्थिक सहायता कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके परम्परागत शिल्पकारों और बेरोजगार युवाओं हेतु स्व-रोजगार के अवसर सृजित कर उनकी सहायता करना है।

सरकार ने स्व-रोजगार को सुकर बनाने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) भी आरंभ की है। पीएमएमवाई के अंतर्गत सूक्ष्म/लघु व्यापरिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने अथवा विस्तार करने में समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का गैर-जमानती ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) की फ्लैगशिप योजना है। इस कौशल प्रमाणीकरण योजना का उद्देश्य बड़ी संख्या में भारतीय युवाओं को उद्योग-संगत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है, जो बेहतर आजीविका प्राप्त करने और उनकी रोजगार तथा स्व-रोजगार की आवश्यकता को पूर्ण करने में सहायता करेगी।

इन पहलों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, जीर्णोद्धार एवं शहरी रूपांतरण हेतु अटल मिशन, सभी के लिए आवास, अवसंरचना विकास एवं औद्योगिक गलियारे तथा उत्पादन-संबंद्ध (पीएलआई) योजना जैसे सरकार के फ्लैगशीप कार्यक्रमों में उत्पादक रोजगार के अवसर सृजित करने के प्रति उन्मुख है।

(ग): 31.10.2021 को, पश्चिम बंगाल में पंजीकृत अटल पेंशन योजना (एपीवाई) नामांकन की कुल संख्या 2,802,990 है। इसके अलावा, दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में, 31.10.2021 को एपीवाई के तहत पंजीकृत नामांकनों की संख्या क्रमशः 60,963 और 7,658 है।

*****